कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी, कानपुर देहात।

पत्रांक : मु.चि.अ. / तम्बाकू नि. प्रकोष्ठ / 2020–2021 / 1673 दिनांक : 22.05.2020

• समस्त चिकित्सा अधीक्षक / प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक / प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कानपुर देहात।

• समस्त निजी चिकित्सालय कानपुर देहात।

विषयः–सार्वजनिक स्थानों पर पान मसााला / तम्बाकू / अन्य तम्बाकू उत्पाद को प्रतिबंधित किये जाने एवं उनके उपयोग न किये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में।

महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्रांक राज्य तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ / 2019–20 / 8375 लखनऊ / दिनांक 13.4.2020 एवं पत्रांक राज्य तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ / 2019–20 / 8365 लखनऊ / दिनांक 18.3.2020 द्वारा अवगत् कराया गया है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कोरोना वाइरस (कोविड–19) को महामारी घोषित किया जा चुका है तथा भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा इसे विश्व व्यापी महामारी को गंभीरता से लेते हुए इसकी रोकथाम एवं बचाव हेतु दिशा निर्देश जारी करते हुए **हेल्पलाइन नम्बर– 18001805145** भी जारी किये गये हैं।

चूँकि **प्रदेश में लगभग 29.4% लोग** धूम्रपान रहित तम्बाकू का किसी न किसी रूप से सेवन करते हैं तथा वर्तमान में तम्बाकू एवं पान– मसाला का सेवन कर इधर–उधर थूकने से कोरोना वाइरस (कोविड–19) को फैलने में सहायक हो सकता है। मा0 प्रधानमंत्री द्वारा बहुउद्देशीय **"स्वच्छ भारत मिशन"** व अन्य बीमारियों की रोकथाम में भी तम्बाकू व पान मसाला का सेवन बड़ी बाधा है।

अतः कोरोना वाइरस (कोविड–19) को ध्यान में रखते हुए आपको निर्देशित किया जाता है कि आप सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान, पान–मसाला खा कर इधर–उधर थूकने तथा खुली सिगरेट की बिक्री एवं हुक्का के प्रयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाना सुनिश्चित करें। साथ ही साथ उक्त कृत्य करते हुए पकड़े जाने पर कोटपा–2003 के नियमों / उपनियमों अंतर्गत नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

नोडल अधिकारी
तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ
कानपुर देहात।

पत्रांक : मु.चि.अ. / तम्बाकू नि. प्रकोष्ठ / 2020–21 **तद्दिनांक**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु –

1. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें उत्तर प्रदेश लखनऊ।
2. राज्य नोडल अधिकारी राज्य तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ उत्तर प्रदेश लखनऊ को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. जिलाधिकारी महोदय, कानपुर देहात
4. पुलिस अधीक्षक, कानुपर देहात को इस अनुरोध के साथ प्रेषित की आप अपने अधीनस्थ पुलिस बल को उक्त के सम्बन्ध में उचित कार्यवाही हेतु निर्देशित करें।
5. मुख्य विकास अधिकारी, कानपुर देहात।
6. **समस्त कार्यालय अध्यक्ष, जनपद– कानपुर देहात को इस आशय के साथ उपरोक्त पत्र के निर्देशों का पालन अपने स्तर से कराना सुनिश्चित करें।**

नोडल अधिकारी
तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ
कानपुर देहात।

Scanned with CamScanner